न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 10 / 2022 **दायर दिनांकः 23 / 02 / 2022**

उनवान

1. लाड बाई आयु 49 पुत्री प्रभूलाल जाति धाकड निवासी बिछालस तहसील अटरू हाल कुन्जबिहारी कॉलोनी अटरू रोड बारां तहसील बारां जिला बारां राज0।

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

निर्णय दिनाकः 21 / 07 / 2022

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थिया उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल बिछालस पटवार हल्का कटावर तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 40 का ख0नं0 332 का रकबा 0.60 है0, ख0 नं0 433 का रकबा 0.03 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.63 है0 आराजी प्रार्थिया एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारियों ने प्रार्थिया के पिता का फौती इन्तकाल तस्दीक करते समय प्रार्थिया का नाम लाड बाई के स्थान पर रामकेदार बाई गलत दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थिया के दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक, ग्राम पंचायत कटावर के प्रमाण एवं ग्राम बिछालस की खाता संख्या 181 की जमाबन्दी में सही नाम लाड बाई दर्ज है। इसलिए प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम रामकेदार बाई के स्थान पर सही नाम लाड बाई दर्ज किया जावे। नामान्तकरण संख्या 235 की प्रति साथ में संलग्न है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का

नाम रामकेदार बाई के स्थान पर सही नाम लाड बाई दर्ज करवाया जाना संभव नहीं है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम सही दर्ज नहीं किया गया तो प्रार्थिया को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पडेगा जिसके फलस्वरूप प्रार्थिया को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा, अस्तु प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम रामकेदार बाई के स्थान पर सही नाम लाड बाई दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम रामकेदार बाई के स्थान पर सही नाम लाड बाई दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। साक्ष्यवादी के तहत pw 1 लाड बाई पुत्री प्रभुलाल जाति धाकड निवासी बिछालस तहसील अटरू हाल कुन्जबिहारी कॉलोनी अटरू रोड बारां का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादी ने शपथपूर्वक बताया कि ग्राम एवं माल बिछालस पटवार हल्का कटावर तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 40 का ख0नं0 332 का रकबा 0.60 है0, ख0 नं0 433 का रकबा 0.03 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.63 है0 आराजी में फौती इंतकाल खोलते समय प्रार्थी का नाम लाड बाई के स्थान पर रामकेदार बाई गलत दर्ज कर दिया। जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों में लाडबाई नाम दर्ज रिकार्ड है। इसलिए उक्त ग्राम कटावर की विवादित आराजी में प्रार्थिया का नाम रामकेदार बाई के स्थान पर सही नाम लाड बाई दर्ज किया जावे।

pw 2 सीता बाई पुत्री प्रभुलाल पत्नि रामरतन जाति धाकड निवासी बिछालस तहसील अटरू का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादी ने शपथपूर्वक बताया कि ग्राम एवं माल बिछालस की आराजी खाता संख्या 40 का ख0नं0 332 का रकबा 0.60 है0, ख0 नं0 433 का रकबा 0.03 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.63 है0 आराजी में फौती इंतकाल खोलते समय मेरी बहिन का नाम लाड बाई के स्थान पर रामकेदार बाई गलत दर्ज कर दिया। जबकि मेरी बहिन के समस्त दस्तावेजों में लाड बाई नाम दर्ज है। मेरी बहिन का नाम दस्तावेजों के आधार

पर उक्त ग्राम कटावर की विवादित आराजी में रामकेदार बाई के स्थान पर सही नाम लाड बाई दर्ज किया जावे।

3. अभिभाषक प्रार्थीया की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम रामकेदार बाई के स्थान पर सही नाम लाड बाई दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

4. अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा की गई बहस के प्रकाश में उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम बिछालस की प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2072–2075 के खाता संख्या 154 ख0नं0 332 का रकबा 0.60 है0, ख0 नं0 433 का रकबा 0.03 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.63 है0 आराजी में प्रार्थिया का नाम शामलाती खाते में रामकेदारबाई पुत्री प्रभूलाल दर्ज है। प्रार्थिया का नाम अन्य दस्तावेजों आधार कार्ड में लाड बाई नागर, जन आधार कार्ड में लाड बाई, स्टेट बैंक आफ इण्डिया की बैंक पासबुक में लाड बाई नागर अंकित है। ग्राम बिछालस की प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2076 के खाता संख्या 181 ख0नं0 603/110 में प्रार्थिया का सही नाम लाडबाई पत्नि रामकेदार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम पंचायत कटावर के नाम शुद्धीकरण प्रमाण पत्र अनुसार लाडबाई व रामकेदार बाई पुत्री प्रभूलाल दोनों नाम एक ही महिला के है। अतः उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थिया का सही नाम लाडबाई है। नामान्तरण पंजिका ग्राम बिछालस के नामान्तरण संख्या 235 के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया का नाम फौती इंतकाल खोलते समय रामकेदार बाई दर्ज किया गया था।

5. रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायहित में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल बिछालस तहसील अटरू की ख0नं0 332 का रकबा 0.60 है0, ख0 नं0 433 का रकबा 0.03 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.63 है0 आराजी में सहखातेदार रामकेदारबाई पुत्री प्रभूलाल के

स्थान पर लाड बाई पुत्री प्रभूलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 21.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां